

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
भू-अर्जन निदेशालय  
अधिसूचना

पटना, दिनांक- .....

स0डी0 एल0 ए0 प0 चम्पा0 .....रा0 चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- नगरदेही, परगना- मझौवा, थाना- शिकारपुर (मैनाटॉड), जिला प0 चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात्- भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना के दू लेन सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपयुक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- नगरदेही नं0 244 के भीतर कमोवेश 44 बीघा 07 कठ्ठा 13 धुर का जो मानक माप से 14.6725 एकड़ के बराबर होता है एक भू-खण्ड अपेक्षित है, जिसका अंश खेसरा संख्या- 25, 24, 22, 42, 44, 47, 40, 32, 35, 39, 57, 60, 68, 69, 67, 76, 77, 79, 80, 81, 165, 157, 166, 167, 168, 160, 326, 325, 229, 231, 230, 232, 233, 248, 251, 252, 250, 253, 256, 260, 267, 259, 274, 263, 275, 272, 277, 283, 282, 284, 285, 717, 718, 865, 864, 863, 719, 321 एवं 324 है, तथा इस भू खण्ड की चौहदी निम्न प्रकार है:-

<p>खण्ड- 'क'</p> <p>उत्तर :- मौजा भंगहा नं0- 232 का सीमा रेखा। दक्षिण :- पूर्ण खेसरा नं0- 26। पश्चिम :- पूरब :- पूर्ण खेसरा नं0- 27 एवं अंश खेसरा नं0- 865।</p>	<p>खण्ड- 'ख'</p> <p>उत्तर :- पूर्ण खेसरा नं0- 26। पूरब :- दक्षिण :- पूर्ण खेसरा नं0- 23। पश्चिम :- अंश खेसरा नं0- 25 एवं 24।</p>
<p>खण्ड- 'ग'</p> <p>उत्तर :- पूर्ण खेसरा नं0- 23। दक्षिण :- पूर्ण खेसरा नं0- 41। पूरब :- पश्चिम :- अंश खेसरा नं0- 22, 42, 44 एवं 47।</p>	<p>खण्ड- 'घ'</p> <p>उत्तर :- पूर्ण खेसरा नं0- 27 एवं 41। दक्षिण :- पूर्ण खेसरा नं0- 41 एवं अंश खेसरा नं0- 69। पूरब :- पूर्ण खेसरा नं0- 31, 34, 36 एवं अंश खेसरा नं0- 40, 32, 35 एवं 39। पश्चिम :- पूर्ण खेसरा नं0- 27, 41 एवं अंश खेसरा नं0- 864।</p>
<p>खण्ड- 'च'</p> <p>उत्तर :- पूर्ण खेसरा नं0- 41। दक्षिण :- पूरब :- अंश खेसरा नं0- 69। पश्चिम :- पूर्ण खेसरा नं0- 58 एवं अंश खेसरा नं0- 57, 60, 68 एवं 67।</p>	<p>खण्ड- 'छ'</p> <p>उत्तर :- पूर्ण खेसरा नं0- 41। पूरब :- अंश खेसरा नं0- 76, 77, 78, 165, 166, 178, 326 एवं पूर्ण खेसरा नं0- 78 पश्चिम :- पूर्ण खेसरा नं0- 41, 164, 327 एवं अंश खेसरा नं0- 863, 80, 81, 79, 157, 165, 166, 167, 160, 168, 326, 325, 324 एवं 231</p>
<p>खण्ड- 'ज'</p> <p>उत्तर :- पूर्ण खेसरा नं0- 286। दक्षिण :- पूरब :- अंश खेसरा नं0- 229, 230, 233, 232, 251, 252, 253, 256, 259, 275, 276, 277, 282, 283, 284 एवं 285। पश्चिम :- पूर्ण खेसरा नं0- 261, 266, 271 एवं अंश खेसरा नं0- 231, 232, 248, 250, 253, 260, 267, 274, 273, 272, 282, 283, 284 एवं 285।</p>	<p>खण्ड- 'झ'</p> <p>उत्तर :- पूर्ण खेसरा नं0- 286। दक्षिण :- ग्राम- इनारवा नं0- 245 का सीमा रेखा पूरब :- पूर्ण खेसरा नं0- 861, 720 एवं अंश खेसरा नं0- 719, 717, 718। पश्चिम :- अंश खेसरा नं0- 719 एवं 717।</p>

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1-1894 की धारा 4 एवं भू-अर्जन संशोधित अधिनियम 1984 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध है। उक्त भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बेतिया के पदाधिकारियों और स्टाफ को प्राधिकृत करता है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें, तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) में यथा उपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पदन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि कृषि योग्य 14.6725 एकड़ है, तथा उसका तुरंत अर्जन आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 'अ' के उपबन्ध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

*River*  
*2/13*

समाहर्ता,  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

सरकार के ~~अधीन~~ सचिव

- ज्ञापांक - 2370/214 डी०एल०ए० प० चम्पा०, पटना, दिनांक - 26/09/2013
- प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक सामचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनाथ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को जिला गजट के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त 10 प्रतियों जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आयुक्त तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*6/2*  
*26/9/13*  
सरकार के ~~अधीन~~ सचिव